

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 9021

दिनांक:- 01-11-2025

आदेश संख्या:- 423/2025-26

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 के विवरणानुसार संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु मनोनीत किया गया था। किन्तु उनके कार्यालयाध्यक्ष/स्वयं के द्वारा उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त रखने के अनुरोध के आधार पर उन्हें उक्त प्रशिक्षण (दिनांक 03.11.2025 से 05.12.2025 तक) से मुक्त रखने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

| S.No. | Roll No. | Name Of Junior Accountant | Name Of Present Office                                                       | Training Centre  |
|-------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                         | 4                                                                            | 5                |
| 1.    | 769284   | RAVI PRAKASH SHARMA       | TREASURY OFFICER (CITY) - 1288 , TREASURIES AND ACCOUNTS , UDAIPUR , UDAIPUR | HCM RIPA UDAIPUR |
| 2.    | 701132   | SUMITRA CHOUDHARY         | DC(Adm) - 8000813 , COMMERCIAL TAXES , BHILWARA , BHILWARA                   | HCM RIPA UDAIPUR |
| 3.    | 702106   | KUSUM MALI                | CMHO - 20207 , MEDICAL AND HEALTH , BHILWARA , BHILWARA                      | HCM RIPA UDAIPUR |

इसके अतिरिक्त विभागीय आदेश संख्या 421/2025-26 दिनांक 31.10.2025 में क्रम संख्या 11 को विलोपित किया जाता है।

(अमिता शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 9021

दिनांक:- 01-11-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
4. पाठ्यक्रम निदेशक/प्रभारी, पब्लिक फाईनेंशियल मेनेजमेंट एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर।
5. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
6. संबंधित कोषाधिकारी।
7. सम्बन्धित कार्मिक सर्वश्री.....।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)